

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**ग्राम्य विकास अनुभाग-3**  
संख्या-1736/38-3-14-1117/12  
लखनऊ::दिनांक:: 10 सितम्बर, 2014

**कार्यालय-ज्ञाप**

लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-375/91-2013, दिनांक 27 नवम्बर, 2013 द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित समस्त विभागों के लिए सेवा संख्या-10 हेतु समयसीमा नियत करते हुए निम्नलिखित पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय अधिकारियों को एतद्द्वारा नामित किया जाता है:-

सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियम समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील के निस्तारण की समय सीमा
10(1)पेंशन स्वीकृति पर निर्णय	जिला विकास अधिकारी	60 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	30 दिवस	अपर आयुक्त (लेखा)	30 दिवस
(2)जी0पी0एफ0 स्वीकृति पर निर्णय	जिला विकास अधिकारी	30 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	15 दिवस	अपर आयुक्त (लेखा)	15 दिवस
(3)चिकित्सा अवकाश स्वीकृति पर निर्णय	जिला विकास अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	15 दिवस	अपर आयुक्त (प्रशासन)	15 दिवस
(4)चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय (तकनीकी एवं अनिवार्यता परीक्षण के बाद)	जिला विकास अधिकारी	60 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	30 दिवस	अपर आयुक्त (प्रशासन)	30 दिवस
(5)प्रोविजनल पेंशन स्वीकृति पर निर्णय	जिला विकास अधिकारी	30 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	30 दिवस	अपर आयुक्त (लेखा)	30 दिवस
(6) उपाजित अवकाश स्वीकृति पर निर्णय	जिला विकास अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	7 दिवस	अपर आयुक्त (प्रशासन)	7 दिवस
(7)वेतन भुगतान पर निर्णय	जिला विकास अधिकारी	15 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	7 दिवस	अपर आयुक्त (प्रशासन)	7 दिवस
(8)गोपनीय प्रविष्टि पर निर्णय	जिला विकास अधिकारी	30 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	30 दिवस	अपर आयुक्त (प्रशासन)	30 दिवस
(9) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पर निर्णय	जिला विकास अधिकारी	90 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	30 दिवस	अपर आयुक्त (प्रशासन)	30 दिवस
(10) मृतक आश्रित नियुक्ति (सामान्य मामलों में) पर निर्णय	जिला विकास अधिकारी	90 दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	30 दिवस	अपर आयुक्त (प्रशासन)	30 दिवस

**राम बहादुर,**  
सचिव।

संख्या-1736/38-3-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर आयुक्त (प्रशासन), ग्राम्य विकास विभाग।
4. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास विभाग।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
6. समस्त जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
7. ग्राम्य विकास अनुभाग-1/2
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,



( डा० हरिश्चन्द्र )

विशेष कार्यधिकारी।

